

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक: 4233/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020

दिनांक: 26.08.2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 व पत्रांक-1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम्, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज बन करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 26.08.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। "

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 107 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 26-मौ0 राधानगर बुलन्दशहर, मौ0 साठा नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, टैगोर वाली गली कृष्णा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, एच0 ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, पुलिस लाईन रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नजीमपुरा भूड, बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर, मौ0 शास्त्री नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 ज्ञानलोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 राजनगर चौदपुर रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 देवीपुरा-1, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 शिवपुरी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सुशीला बिहार-2 नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, के0पी0रोड नियर फीमेल हॉस्पिटल नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, टांडा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, प्रीत बिहार नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 आर0के0पुरम, बुलन्दशहर, मानसरोवर कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सूर्य नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 अराजियात, पुरानी जेल के पीछे, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रामा एन्क्लेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, लोधी कालोनी, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 लाला कृष्णदयाल का अहाता,

नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आदर्श नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, अम्बा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 81 हॉटस्पॉट— कायस्थवाड़ा कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ० अहीरपाड़ा, नगरीय क्षेत्र, खुर्जा, गोरा मौहल्ला, ग्राम बाहपुर वि०ख० बी०बी०नगर व तहसील स्याना, ग्राम रहमापुर, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, गली नं०-1, पहासू अड़डा, जैना गैस्ट हाउस के पीछे, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, शारदा मैरिज होम के सामने, जंक्शन रोड खुर्जा, अलीगढ़ चुंगी, निकट नव दुर्गा शक्ति मन्दिर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम सनौटा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बौहिच, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ० खाकरोवान कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम कोटला, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, मौ० सत्यपुरी नगरीय क्षेत्र नरौरा, मौ० तेलियान निकट ईदगाह, कस्बा ककोड़, तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बिरौली, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम हजरतपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम अहरोली, वि०ख० व तहसील खुर्जा, राम सिंह का बाड़ा, मदार दरवाजा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, वैशाली कालोनी नगर पालिका परिषद खुर्जा, ग्राम किला मेवई वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम जैनपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम आढा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम शहजादपुर वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम शिवपुरी वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ० मुफतीवाड़ा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ० होली दरवाजा नगरीय क्षेत्र छतारी, तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, मौ० सराय कुन्दन नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम पौण्डरी वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ० कायस्थवाड़ा नगरीय क्षेत्र जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम पारली वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम बरौली वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ० चौधरीवाड़ा नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, सैनी धर्मशाला वाली गली, सुभाष रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम ईस्माईलपुर बुटैना वि०ख० व तहसील खुर्जा, कसेर कलौं वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम बिलौनारूप, वि०ख० व तहसील डिबाई, डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ० जोगीपाड़ा, नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम दरावर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम मालागढ़ वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर, एन०ए०पी०पी० टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, मौ० काजीखेल नगर पंचायत पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम गंगागढ़ वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम ताजपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भमरा वि०ख० गुलावटी तहसील बुलन्दशहर, काकर की मढैया (बराल), वि०ख० गुलावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नगला सोही वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, मौ० शिवपुरी नगरीय क्षेत्र पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम भौरा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ० चौक गली नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम गोधना वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम जीवत वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम मिर्जापुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम हजरतपुर पूठरी, वि०ख० अर्निया तहसील खुर्जा, मौ० नेहरूगंज नई बस्ती नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, मौ० पटपड़े, ग्राम मड़ोना, वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम नेहरूपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम लखावटी मिर्जापुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम जालखेड़ा, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ० लाल दरवाजा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ० सराय पुख्ता (हनुमान चौक), नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम करैना, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम बढढा वाजिदपुर, वि०ख० व तहसील स्याना, मौ० राजाराम पटटी, नगरीय क्षेत्र स्याना, ग्राम किसौली, वि०ख० अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ० गोपालपुरी, नगर पंचायत नरौरा, तहसील डिबाई, लक्ष्मी बिहार कालोनी नगरीय क्षेत्र स्याना, ग्राम रिवाड़ा, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ० मण्डी हरदेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ० कस्सावान, नगरीय क्षेत्र डिबाई, शीला सदन गली, मौ० महादेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम शरीफपुर भैंसरोली, वि०ख० अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ० पुख्ता बाजार, जहाँगीराबाद, तहसील अनूपशहर, मौ० रूई का पेच, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, माजरा नगला उग्रसैन ग्राम कुचेसर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, मौ० पुराना छत्ता, नगरीय क्षेत्र स्याना, नगला मोहिउद्दीनपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, चुनारो वाला मौहल्ला वार्ड नं० 06 कस्बा बी०बी० नगर तहसील स्याना, जीवन गीत कालोनी निकट रेनेसा स्कूल वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम किरा वि०ख० व तहसील खुर्जा, मठ मन्दिर वाली गली सुभाष रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 26.08.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-2051 है, 877 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में हैं। जनपद में 44 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैलें, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश हैं। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

दिनांक-अगस्त 26, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

26/8/2020

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

कार्यालय
पत्र संख्या: 220 / एस0टी0-डी0एम0/2020

जिला मजिस्ट्रेट,

बुलन्दशहर।
दिनांक: 25 अगस्त, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020/रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपटित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ने पत्रांक 1903/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30-07-2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 30 जून 2020 में यथासंशोधन करते हुए अनलॉक-03 दिशा-निर्देश दिनांक 31-08-2020 तक जारी रखने के विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पाँच-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोराना वायरस से पीड़ित/संक्रमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित क्रम सं0 102 से 107 पर अंकित क्षेत्रों/कन्टेनमेन्ट जोन को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 25 अगस्त, 2020 की सायं 08:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य कन्टेनमेन्ट जोन सम्मुख अंकित दिनांक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:-

क्र0सं0	कन्टेनमेन्ट जोन का नाम	घोषित दि0	थाना क्षेत्र
1	मौ0 राधानगर, बुलन्दशहर ✓	21-06-2020	को0नगर बुलन्दशहर
2	मौ0 साठा, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	10-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
3	कायस्थवाडा, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद	22-07-2020	सिकन्द्राबाद
4	टैगोर वाली गली, कृष्णा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	28-07-2020	को0नगर बुलन्दशहर
5	एच ब्लाक, यमुनापुरम नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	28-07-2020	को0देहात बु0शहर
6	मौ0 अहीरपाडा, नगरीय क्षेत्र, खुर्जा	29-07-2020	खुर्जा नगर
7	गोरा मोहल्ला, ग्राम बाहपुर, वि0ख0 बी0बी0नगर व तहसील स्याना	03-08-2020	बी0बी0नगर
8	ग्राम रहमापुर, वि0ख0 दानपुर, तहसील डिबाई	03-08-2020	डिबाई
9	गली नं0-1, पहासू अड्डा, जैना गैस्ट हाउस के पीछे, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	04-08-2020	खुर्जा नगर
10	शारदा मैरिज होम के सामने, जंक्शन रोड, खुर्जा	06-08-2020	खुर्जा नगर
11	अलीगढ चूँगी, निकट नव दुर्गा शक्ति मन्दिर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	06-08-2020	खुर्जा नगर
12	ग्राम सनौटा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	07-08-2020	सिकन्द्राबाद
13	पुलिस लाईन रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	09-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
14	ग्राम बोहिच, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	10-08-2020	शिकारपुर
15	मौ0 खाकरोवान, कस्बा जहाँगीराबाद, तहसील अनूपशहर	10-08-2020	जहाँगीराबाद
16	ग्राम कोटला, वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई	11-08-2020	अनूपशहर
17	मौ0 सत्यपुरी, नगरीय क्षेत्र नरौरा	11-08-2020	नरौरा
18	मौ0 तेलियान, निकट ईदगाह, कस्बा ककोड़ तहसील सिकन्द्राबाद	11-08-2020	ककोड़
19	ग्राम बिरौली, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	11-08-2020	अनूपशहर
20	नजीमपुरा भूड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	11-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
21	आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर ✓	11-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
22	ग्राम हजरतपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	11-08-2020	खुर्जा देहात
23	ग्राम अहरोली, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	11-08-2020	खुर्जा नगर
24	राम सिंह का बाड़ा, मदार दरवाजा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	11-08-2020	खुर्जा नगर
25	वैशाली कालोनी, नगर पालिका परिषद खुर्जा	12-08-2020	खुर्जा नगर
26	ग्राम किला मवई वि0ख0 व तहसील खुर्जा	12-08-2020	खुर्जा नगर
27	ग्राम जैनपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	12-08-2020	को0देहात बु0शहर
28	ग्राम आढा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	12-08-2020	सिकन्द्राबाद
29	ग्राम शहजादपुर, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर	13-08-2020	औरंगाबाद
30	ग्राम शिवपुरी, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	13-08-2020	अहमदगढ़
31	मौ0 मुपतीवाडा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	13-08-2020	शिकारपुर
32	मौ0 होली दरवाजा, नगरीय क्षेत्र छतारी, तहसील शिकारपुर	13-08-2020	छतारी
33	ग्राम मीरपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	13-08-2020	खुर्जा नगर

34	मौ० सराय कुन्दन, नगरीय क्षेत्र डिबाई	14-08-2020	डिबाई
35	ग्राम पौण्डरी, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	14-08-2020	को०देहात बु०शहर
36	मौ० शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	14-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
37	मौ० ज्ञान लोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	14-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
38	मौ० राजनगर, चॉदपुर रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	14-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
39	मौ० कायस्थवाडा, नगरीय क्षेत्र जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	14-08-2020	जहाँगीराबाद
40	ग्राम पारली, वि०ख० व तहसील अनूपशहर	14-08-2020	अनूपशहर
41	ग्राम बरौली, वि०ख० व तहसील शिकारपुर	14-08-2020	शिकारपुर
42	मौ० चौधरीवाडा, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	14-08-2020	सिकन्द्राबाद
43	सैनी धर्मशाला वाली गली, सुभाष रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	14-08-2020	खुर्जा नगर
44	ग्राम ईस्माईलपुर बुटैना, वि०ख० व तहसील खुर्जा	14-08-2020	खुर्जा नगर
45	मौ० देवीपुरा-1, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	15-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
46	कसेर कलॉ, वि०ख० व तहसील डिबाई	15-08-2020	डिबाई
47	ग्राम बिलौनारूप, वि०ख० व तहसील डिबाई	15-08-2020	डिबाई
48	डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई.	15-08-2020	डिबाई
49	मौ० जोगीपाडा, नगरीय क्षेत्र डिबाई	15-08-2020	डिबाई
50	ग्राम दरावर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर	15-08-2020	अहार
51	ग्राम मालागढ, वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर	16-08-2020	अगौता
52	एन०ए०पी०पी० टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई	16-08-2020	नरौरा
53	मौ० काजीखेल, नगर पंचायत पहासू, तहसील शिकारपुर	16-08-2020	पहासू
54	ग्राम गंगागढ, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर	16-08-2020	पहासू
55	ग्राम ताजपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	17-08-2020	को०देहात बु०शहर
56	ग्राम भमरा, वि०ख० गुलावटी, तहसील बुलन्दशहर	17-08-2020	गुलावटी
57	काकर की मढ़ैया (बराल), वि०ख० गुलावटी तहसील बुलन्दशहर	17-08-2020	गुलावटी
58	मौ० शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	17-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
59	ग्राम नगला सोही, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर	17-08-2020	पहासू
60	मौ० शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र पहासू तहसील शिकारपुर	17-08-2020	पहासू
61	ग्राम भौरा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद	18-08-2020	ककोड़
62	मौ० चौक गली, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	18-08-2020	शिकारपुर
63	ग्राम गोघना, वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	18-08-2020	जहाँगीराबाद
64	ग्राम जीवत, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर	18-08-2020	को०देहात बु०शहर
65	सुशीला बिहार-2 नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	19-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
66	के०पी०रोड, नियर फीमेल हॉस्पिटल, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	19-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
67	ग्राम मिर्जापुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	19-08-2020	को०देहात बु०शहर
68	ग्राम हजरतपुर पूठरी, वि०ख० अर्निया, तहसील खुर्जा	19-08-2020	खुर्जा देहात
69	मौ० नेहरूगंज नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर	20-08-2020	अनूपशहर
70	टांडा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	20-08-2020	को०देहात बु०शहर
71	प्रीत बिहार, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	20-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
72	मौ० पटपड़े, ग्राम मड़ोना, वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना	21-08-2020	बी०बी० नगर
73	ग्राम नेहरूपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा	21-08-2020	खुर्जा नगर
74	ग्राम लखावटी मिर्जापुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा	21-08-2020	खुर्जा देहात
75	मौ० आर०के० पुरम, बुलन्दशहर ✓	21-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
76	मानसरोवर कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	21-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
77	सूर्य नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	21-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
78	गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	21-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
79	ग्राम जालखेडा, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	21-08-2020	को०देहात बुलन्दशहर
80	मौ० लालदरवाजा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	21-08-2020	को०देहात बु०शहर
81	मौ० सराय पुख्ता (हनुमान चौक), नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	21-08-2020	शिकारपुर
82	ग्राम करैना वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर	21-08-2020	शिकारपुर
83	ग्राम बढडा वाजिदपुर, वि०ख० व तहसील स्याना	21-08-2020	शिकारपुर
84	मौ० राजाराम पट्टी, नगरीय क्षेत्र स्याना	22-08-2020	स्याना
85	ग्राम किसौली, वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर	22-08-2020	स्याना

86	मौ0 अराजियात, पुरानी जेल के पीछे, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	22-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
87	रामा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	22-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
88	लोधी कालोनी, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	22-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
89	मौ0 गोपालपुरी, नगर पंचायत नरौरा तहसील डिबाई	22-08-2020	नरौरा
90	लक्ष्मी बिहार कालोनी, नगरीय क्षेत्र स्याना	23-08-2020	स्याना
91	ग्राम रिवाडा, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर	23-08-2020	जहाँगीराबाद
92	मौ0 मण्डी हरदेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई	23-08-2020	डिबाई
93	मौ0 करसावान, नगरीय क्षेत्र डिबाई	23-08-2020	डिबाई
94	शीला सदन गली, मौ0 महादेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई	23-08-2020	डिबाई
95	ग्राम शरीफपुर भैंसरोली, वि0ख0 अगौता, तहसील बुलन्दशहर	23-08-2020	अगौता
96	मौ0 लाला किशन दयाल का अहाता, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	23-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
97	मौ0 पुख्ता बाजार, जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	23-08-2020	जहाँगीराबाद
98	मौ0 रूई का पेच, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	24-08-2020	सिकन्द्राबाद
99	माजरा नगला उग्रसेन, ग्राम कुचेसर वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना	24-08-2020	बी0बी0नगर
100	मौ0 पुराना छत्ता, नगरीय क्षेत्र स्याना	24-08-2020	स्याना
101	नगला मोहिउद्दीनपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	24-08-2020	खुर्जा नगर
102	सुनारों वाला मौहल्ला, वार्ड नं0-6, कस्बा बी0बी0 नगर तहसील स्याना	25-08-2020	बी0बी0 नगर
103	आदर्श नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	25-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
104	अम्बा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	25-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
105	जीवन गीत कालोनी, निकट रेनेसा स्कूल, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	25-08-2020	को0देहात बुलन्दशहर
106	ग्राम किरा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा	25-08-2020	खुर्जा देहात
107	मठ मन्दिर वाली गली, सुभाष रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	25-08-2020	खुर्जा नगर

मा0 मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 1382/ 2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-05-2020 व पत्रांक 1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि:-

- शहरी क्षेत्र:-
- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
 - (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
 - (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जायेगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
 - (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में-
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
 - (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्र:-
- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
 - (2) यदि गाँव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरों की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गाँव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगे।

कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी:-

- 1- कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।
- 2- कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।

- 3- कन्टेनमेंट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।
- 4- कन्टेनमेंट-जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें बफर-जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला-प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।
- 5- कन्टेनमेंट जोन में शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जॉच एवं सेनीटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मॉस्क भी वितरित किये जायेंगे।
- 6- कन्टेनमेंट जोन में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेंस या A.L.S. से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री बी० के० श्रीवास्तव, डी०एम०ओ० (मो०नं०-9412425890) से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 7- कन्टेनमेंट जोन में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा-144 द०प्र०सं० के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- कन्टेनमेंट जोन में सेक्टर-स्कीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।
- 9- कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।
- 10- उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास (इंडोर) में ही रहेंगे। उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड विहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1980) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।

दिनांक: अगस्त, 2020

पृष्ठांकन संख्या: 220 / एस०टी०-डी०एम०/2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मा० मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सं०40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 29 जुलाई 2020 एवं मा०मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ के संदर्भित पत्र के प्रस्तर 4(11) के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रमुख सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 6- आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
- 7- उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
- 8- वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।
- 9- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 10- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी करायें।
- 11- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/(न्यायिक), बुलन्दशहर।
- 12- अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।
- 13- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सैनिटाइजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वॉछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- 14- नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चरपा कराते हुए परिसर एवं आस-पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित करायें। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 15- समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ
- 16- नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 17- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 18- समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।